कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छत्तीसगढ)

सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

क्रमांक 2546 रायपुर, दिनांक 24/12/2021

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि – 29/12/2021 प्रात 11:00 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि – 31/01/2022 संध्या 5.00 बजे तक

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के सामान्य स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिन्दी, सहायक ग्रेड–तीन, भृत्य के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

रिक्त पदों का विवरण

क्र	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग							
			मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	02	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	स्टेनाग्राफर हिन्दी	10	1	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	1	—
3	सहा.ग्रेड 3	50	6	2	1	—	1	2	4	1	5	1	—	—	16	8	2	1
4	भृत्य	05	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
	योग –	**67**	**9**	**2**	**1**	**1**	**4**	**2**	**4**	**1**	**8**	**1**	**—**	**—**	**21**	**9**	**3**	**1**

संकेतक :– मु.–मुक्त, म.–महिला, वि.–विकलांग, भूपू.सै.–भूतपूर्व सैनिक

महत्वपूर्ण टीप :–
1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. महिलाओं को नियमानुसार होरिजॉन्टल आरक्षण दिया जावेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है, तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किये जावेगें, अपितु उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे।

3. दिनांक 04/09/2019 को राजपत्र में प्रकाशित अध्यादेश के अनुसार तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षण प्रतिशत निर्धारित किया जावेगा।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय छ.ग. के निर्णयानुसार आरक्षण निर्धारित किया जावेगा।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के पद के लिए –

अ– छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल–07 (रूपये 28700–91300)

ब– शैक्षणिक योग्यता–

1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
4. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।

(2) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद के लिए –

अ– छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल–07 (रूपये 28700–91300)

ब– शैक्षणिक योग्यता–

1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
3. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
4. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।

(3) सहायक ग्रेड–3 (सेल अमीन, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, निष्पादन लिपिक) के पद के लिए –

अ– छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल–04 (रूपये 19500–62000)

ब– शैक्षणिक योग्यता–

1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

3. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
4. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।

टीपः— 1. हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें।
2. 07 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है उस संवर्ग से उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड, रायपुर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उसी संवर्ग के पुरूष/महिला उम्मीदवार का चयन किया जावेगा।

(4) <u>भृत्य पद के लिए</u> —

अ— छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल—01 (रूपये 15600—49400)

ब— <u>शैक्षणिक योग्यता</u>—
1. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना एवं अधिकतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना है। कक्षा 8वीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता का अभ्यर्थी भृत्य पद के लिए अयोग्य होगा।
3. भृत्य पद के लिए आवेदक स्वयं का शपथ पत्र इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करेगा कि उसकी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं से अधिक नही है।

—: <u>आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें</u> :—

<u>(1) आयु सीमा</u> —

प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ.ग. के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय—समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

छ.ग. राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते है, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) <u>अन्य शर्तें</u> —

(1) रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।
(2) चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश कमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/07/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित **उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी** एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में कमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम

70%, 80%, 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा, किन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे।

(3) चयनित उम्मीदवारों को रायपुर जिले के बाह्य न्यायालयों में नियुक्ति की जा सकेगी।

(4) चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उनकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

(5) उपरोक्त पदों की भर्ती प्रकिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

(7) जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(9) कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(10) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(11) यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरूद्व अत्यधिक संख्या में आवेदन प्रस्तुत होते है, तो ऐसे पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। जिसकी नियुक्ति हेतु चयन विधि से यथा समय अवगत कराया जायेगा।

<u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया</u>

(1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31/01/2022 की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से **आवेदित पद स्टेनोग्राफर-अंग्रेजी/स्टेनोग्राफर-हिन्दी/सहायक ग्रेड-3/भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो,** जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0) के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। **दिनांक 31/01/2022 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।** आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।

(2) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के शासकीय वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/raipur में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे एक ही तिथि में पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करें।

(4) आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

(5) ई–मेल, फैक्स के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
(6) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
(7) आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा किसी भी प्रकार की अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

1. **स्टेनोग्राफर अंग्रेजी–**

(अ) **कौशल परीक्षा–**

उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/5 अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। **कौशल परीक्षा उबुन्टु लाईनक्स (Ubuntu Linux) में ली जावेगी।**

2. **स्टेनोग्राफर हिन्दी**

(अ) **कौशल परीक्षा–**

उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से 5 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/5 अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। **कौशल परीक्षा उबुन्टु लाईनक्स (Ubuntu Linux) में ली जावेगी।**

3. **सहायक ग्रेड तीन –**

(अ) **कौशल परीक्षा–**

उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द की हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/5 अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। **कौशल परीक्षा उबुन्टु लाईनक्स (Ubuntu Linux) में ली जावेगी।**

–: चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची :–

कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदक का नाम प्रथम आएगा, उनका चयन किया जावेगा। चयनित उम्मीदवार की सर्वप्रथम अनंतिम सूची (Provisional List) तैयार की जावेगी, जिसका प्रकाशन कार्यालय के वेबसाईट एवं कार्यालय की सूचना पटल में किया जावेगा। चयनित उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो तो 15 दिन के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात् चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय में चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा, तथा आरक्षित वर्ग में चयनित उम्मीदवारों को जाति

प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से किए जाने के बाद ही सेवा मे लिया जावेगा। प्रमाण पत्रों की जांच में विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी। उपरोक्त पद पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

4. **<u>भृत्य</u> –**

भृत्य पद हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर, अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जायेगा :–

01. भृत्य पद हेतु चयन प्रक्रिया उक्त पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थात कक्षा 5वीं में प्राप्त अंक की **प्रावीण्यता** (Merit) पर आधारित होगी, तथा वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। समान अंक की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को अवसर प्रदान किया जावेगा। भृत्य पद हेतु कोई साक्षात्कार नही लिया जावेगा। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदक का नाम प्रथम आएगा, उनका चयन किया जावेगा। चयनित उम्मीदवार की सर्वप्रथम अनंतिम सूची (Provisional List) तैयार की जावेगी, जिसका प्रकाशन कार्यालय के वेबसाईट एवं कार्यालय की सूचना पटल में किया जावेगा।

02. चयनित उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो तो 15 दिन के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात् भृत्य पद पर चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय में चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा, तथा आरक्षित वर्ग में चयनित उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से किए जाने के बाद ही सेवा मे लिया जावेगा। प्रमाण पत्रों की जांच में विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी। उपरोक्त पद पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

–: <u>महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–

1. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र कमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1–7, दिनांक 23.08. 2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
4. चयनित उम्मीदवारों को जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हों, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. चयन प्रकिया के संबंध में चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
6. उक्त नियुक्ति, आरक्षण के संबंध में माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन कमांक (सी)591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाला अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन किया जावेगा।
7. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताए, किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
8. जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
9. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/raipur से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया

जावेगा। आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को नवीनतम् रंगीन फोटो चस्पा कर एवं स्वहस्ताक्षरित कर, प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवें, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।

10. कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
11. प्राप्त आवेदन पत्रों की परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/raipur पर अपलोड किया जावेगा तथा सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।
12. आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।

<u>महत्वपूर्ण टीपः–</u>

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

रायपुर –
दिनांक– 24.12.2021

अध्यक्ष,
परीक्षा सेल/भर्ती नियुक्ति समिति
रायपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप
(स्टेनोग्राफर–अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर–हिन्दी एवं सहायक ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम् पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एव दिनांक सहित

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
   (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) : ....
3. लिंग– पुरूष संकेतक–1, महिला संकेतक–2 [ ]
4. पिता/पति का नाम : ....
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) : ....
   (ब) स्थाई पता : ....
5. (अ) जन्म तिथि (अंकों में) [| | | | | | |]
   (शब्दों में) : ....
   (ब) दिनांक 01/01/2022 को आयु :– .... वर्ष .... माह .... दिन
7. आवेदक का मोबाईल नंबर : ....
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हॉं/नहीं [ ]
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)
9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/ [ ]

अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हाँ / नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

11. क्या आवेदक विकलांग है ? हाँ / नहीं
(यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

12. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :..

13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक हैं ? हाँ / नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक [ ] दिनांक [ ]

15. रोजगार कार्यालय का नाम :..

16. क्या आप विवाहित हैं? हाँ / नहीं

17. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि

18. जीवित बच्चों की संख्या

कं0	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1.	2.	3.	4.

19. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :—

कं0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड / वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. क्या आवेदक शासकीय / अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हाँ / नहीं

(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

21. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-
टीप – प्रमाण पत्र नीचे दिये अनुक्रम में संलग्न करें।

प्रमाण पत्र का नाम	संलग्न है/संलग्न नहीं।
1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र	....
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र	....
3. स्नातक प्रमाण पत्र	....
4. स्नात्कोत्तर प्रमाण पत्र	....
5. हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र	....
6. हिन्दी/अंग्रेजी मुद्रलेखन प्रमाण पत्र	....
7. कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र	....
8. छ0ग0 का मूल निवास प्रमाण पत्र	....
9. छ0ग0 का स्थायी जाति प्रमाण पत्र	....
10. विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र	....
11. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र	....
12. अन्य –	....

<u>घोषणा</u>

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि उनमें कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति स्वमेव निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :
स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर–
नाम एवं पूरा पता–
मोबाईल नं.–
ई–मेल–
(मोबाईल नंबर एवं ई–मेल अनिवार्य रूप से भरे)

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>
<u>(भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु)</u>

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम् पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
3. लिंग– पुरूष संकेतक–1, महिला संकेतक–2 [ ]
4. पिता/पति का नाम : ....
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) : ....

   ....

   ....

   (ब) स्थाई पता : ....

   ....

   ....

5. (अ) जन्म तिथि (अंकों में) [| | | | | | |]

   (शब्दों में) :..

   (ब) दिनांक 01/01/2022 को आयु :– .... वर्ष .... माह .... दिन
7. आवेदक का मोबाईल नंबर : ....
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हॉ/नहीं [ ]

   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)
9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हॉ/नहीं [ ]

   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक

15. रोजगार कार्यालय का नाम ....

16. क्या आप विवाहित हैं? हॉ/नहीं

17. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि

18. जीवित बच्चों की संख्या

क0	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1.	2.	3.	4.

19. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हॉ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

21. विशेष योग्यता यदि कोई हो तो (प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें, यदि कोई है)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

22. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–
टीप – प्रमाण पत्र नीचे दिये अनुक्रम में संलग्न करें।

प्रमाण पत्र का नाम	संलग्न है/संलग्न नहीं।
1. कक्षा 5वीं का प्रमाण पत्र	....
2. कक्षा 8वीं का प्रमाण पत्र	....
3. छ0ग0 का मूल निवास प्रमाण पत्र	....
4. छ0ग0 का स्थायी जाति प्रमाण पत्र	....
5. स्वयं का शपथ पत्र	....
6. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र	....
7. अन्य –	....

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि उनमें कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है, तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति स्वमेव निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :
स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर–
नाम एवं पूरा पता–
मोबाईल नं.–

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)

–: प्रवेश पत्र :–

स्टेनोग्राफर अंग्रेजी/स्टेनोग्राफर हिन्दी/सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु।

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम् पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एव दिनांक सहित

आवेदन का पंजीयन कमांक	
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	

आवेदित पद का नाम :– ______________________

अभ्यर्थी का नाम :– ______________________

पिता/पति का नाम :– ______________________

वर्ग–(अना./अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) :– ______________________

परीक्षा तिथि :– ______________________

समय :– ______________________

परीक्षा केन्द्र :– ______________________

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु।

वास्ते/जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेशः–

1/ परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

2/ परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा के केवल काले अथवा नीले पेन का ही उपयोग करें। परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आवे। पृथक से प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदन पत्र के पंजीयन कमांक तथा अनुकमांक की जानकारी परीक्षार्थी जिला न्यायालय के वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/raipur से प्राप्त करें।

3/ परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्कुलेटर, मोबाईल, लॉग टेबल, ब्लू टूथ आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

4/ प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है। एक अतिरिक्त फोटो साथ लेकर आवश्यक रूप से लावें।

5/ परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।